न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 67/2011

अपीलांट

1. मृत हमीरसिंह पुत्र भूरसिंह जी जाति राजपूत निवासी नारलाई, तहसील देसूरी जिला पाली के कायम मुकाम
   1/1 हनवंतसिंह
   1/2 प्रतापसिंह
   1/3 मोतीसिंह
   1/4 किशोरसिंह
   1/5 महेन्द्रसिंह पुत्रगण हमीरसिंहजी
   1/6 ताराकंवर पुत्री हमीरसिंहजी
   1/7 श्रीमति पेपीकंवर पत्नी हमीरसिंहजी समस्त जातिगण राजपूत निवासीगण नारलाई, तहसील देसूरी, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी, देसूरी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.08.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/02 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.8.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 89,, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 2.32 हैक्टेयर

के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलांटगण के पिता को ग्राम चक सुजापुरा तहसील देसूरी के पुराने खसरा नंबर 26 में से 15 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। तत्पश्चात मीन नंबर 26/17 दर्ज कर नक्शे में तरमीम के आदेश दिये गये। उपरोक्त आवंटन के आधार पर अपीलांट को जिस स्थान पर तत्समय हल्का पटवारी द्वारा कब्जा दिया गया था, उस समय उसी पर कब्जा प्राप्त किया। एवं उक्त आराजी को काबिल काश्त बनाने हेतु हजारो रूपये खर्च किये। जिस पर अपीलांटगण आज भी काबिज है। उपरोक्त भूमि की पासबुक भी जारी की गई। बाद में हल्का पटवारी द्वारा यह आपत्ति की गई कि अपीलांट के पिता जिस स्थान पर काबिज है वह भूमि खसरा नंबर 26 की न होकर खसरा नंबर 14 का भाग है। एवं इस प्रकार अपीलांट के पिता के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई। जिस संदर्भ में भूमिधारी के आदेश के विरूद्ध अपीलांट के पिता ने जिला कलक्टर पाली के न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसके अपील संख्या 89/66 थे। जो दिनांक 03.05.67 को निर्णीत होकर अपील स्वीकार की जाकर पत्रावली रिमांड की गई। किन्तु उक्त आदेश की पालना में भूमिधारी द्वारा आदिनांक तक शुद्धि नहीं की गई। गत खसरा नंबर 14 के वर्तमान खसरा नंबर 82 रकबा 2.32 हैक्टेयर बने है। जिस पर अपीलांटगण काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाबदावे में यह स्वीकार किया है कि अपीलांट को गत खसरा संख्या 26 मे से 15 बीघा भूमि आवंटित की गई थी, किन्तु अपीलांट का कब्जा वर्तमान में खसरा नंबर 82 पर है। जो गत खसरा नंबर 26 से न बनकर 14 से बने है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण के पिता ने स्वयं के बयान के साथ ही गवाह पीडब्लयू–2 मदनलाल, पीडब्लयू –3 श्यामलाल के बयान करवाये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई साक्ष्य पेशी नहीं हुई। केवल मौका फर्द दिनांक 16.12.2010 पेश हुई, जिसके अनुसार अपीलांटगण के पिता का कब्जा खसरा नंबर 82 रकबा 2.32 हैक्टेयर पर बताया गया है। अपीलांटगण के पिता के नाम गत खसरा नंबर 26/17 अपीलांट की आवंटन शुदा खातेदारी दर्ज थी। उक्त भूमि तो सेटलमेंट पश्चात अपीलांट के खाते में दर्ज होने आज्ञापक थी, इसके बदले किस नये खसरा नंबरान की भूमि अपीलांटगण के खातेदारी में दर्ज की है यह भूमिधारी ने स्पष्ट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त सेटलमेंट विभाग को किसी व्यक्ति की खातेदारी को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। वर्तमान खसरा नंबर 82 भी सरकारी है। ऐसी स्थिति में एक्सचेंज में किसी प्रकार की कोई विधिक रोक नहीं है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर लगातार काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में न रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 89,, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 2.32 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट को कोई कब्जा काश्त नहीं है। एवं न ही अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत हाजा

न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 89,, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 2.32 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण के पिता को ग्राम चक सुजापुरा तहसील देसूरी के पुराने खसरा नंबर 26 में से 15 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। तत्पश्चात मीन नंबर 26/17 दर्ज कर नक्शे में तरमीम के आदेश दिये गये। उपरोक्त आवंटन के आधार पर अपीलांट को जिस स्थान पर तत्समय हल्का पटवारी द्वारा कब्जा दिया गया था, उस समय उसी पर कब्जा प्राप्त किया उपरोक्त भूमि की पासबुक भी जारी की गई। उसके पश्चात हल्का पटवारी द्वारा यह आपत्ति की गई कि अपीलांट के पिता जिस स्थान पर काबिज है वह भूमि खसरा नंबर 26 की न होकर खसरा नंबर 14 का भाग है। एवं इस प्रकार अपीलांट के पिता के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई। जिस संदर्भ में भूमिधारी के आदेश के विरूद्ध अपीलांट के पिता ने जिला कलक्टर पाली के न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसके अपील संख्या 89/66 थे। जो दिनांक 03.05.67 को निर्णीत होकर अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा साबित होने पर नियमन के आवेदन को निस्तारण के आदेश पारित किये गये। उसके पश्चात अपीलांट के पिता के नाम खसरा नंबर 26/17 रकबा 15 बीघा भूमि नियमन की गई। किन्तु हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि हल्का पटवारी ने अपीलांट के पिता का कब्जा खसरा नंबर 14 पर होने के संबध में आपत्ति प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार द्वारा अपीलांट के पिता पर धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपीलांट के पिता ने अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की, उक्त अपील मे अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली ने अपने निर्णय दिनांक 03.05.67 में अपीलांट के पिता को खसरा नंबर 14 पर अपना कब्जा साबित करने का अवसर देने के पश्चात वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 14 की भूमि के नियमन करने का आदेश पारित किया। किन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं की गई। अब जहां तक वादग्रस्त आराजी पर कब्जे का प्रश्न है तो अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 82 रकबा 2.32 हैक्टेयर पर अपने कब्जे के संबध में गवाह पीडब्लयू–2 मदनलाल, पीडब्लयू –3 श्यामलाल के बयान करवाये गये। जिन्होने वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा होना ताईद किया है। इसके अतिरिक्त जमाबंदी संवत 2019–20 एवं 2021–22 के अनुसार भी वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण के पिता के नाम दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट अपने जवाब में खसरा नंबर 82 रकबा 2.32 हैक्टेयर गत खसरा नंबर 14 से बनना माना है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 16.12.2010 के अनुसार मौजा चक सुजापुरा के खसरा नबर 82 रकबा 2.32 हैक्टेयर किस्म बारानी पर अपीलांट के पिता हमीरसिंह का कब्जा होना माना है।

इसके अतिरिक्त हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 05.01.2015 में भी अपीलांट के पिता हमीरसिंह का खसरा नंबर 82 रकबा 2.32 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त होना माना है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 2.32 हैक्टेयर अपीलांट के पिता का कब्जा काश्त निरन्तर रहा है। अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.67 द्वारा अपीलांटगण के पिता को खसरा नंबर 14 जिसके नये खसरा नंबर 82 रकबा 2.32 हैक्टेयर भूमि का नियमन किये जाने के आदेश पारित किये गये। किन्तु उपखंड अधिकारी द्वारा संवहन से अपीलांट के पिता को खसरा नंबर 26/17 का नियमन कर दिया गया, जबकि हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह भी प्रमाणित है कि पुराने खसरा नंबर 26/2017 को कोई नया खसरा बना हुआ दर्ज नहीं है। जिससे हाजा न्यायालय की राय में उक्त प्रकरण रेकर्ड दुरूस्ती का प्रतीत होता है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नंबर 14 के नये खसरा नंबर 82 रकबा 2.32 हैक्टेयर पर निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। जिससे अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 2.32 हैक्टेयर के खातेदार अधिकार प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/02 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.8.2011 को अपास्त किया जाता है। अपीलांटगण को ग्राम चक सुजापुरा के गत खसरा नंबर 26/17 रकबा 15 बीघा के स्थान पर हाल खसरा नंबर 82 रकबा 2.32 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

डिक्री पर्चा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 67/2011

अपीलांट

1. मृत हमीरसिंह पुत्र भूरसिंह जी जाति राजपूत निवासी नारलाई, तहसील देसूरी जिला पाली के कायम मुकाम
   1/1 हनवंतसिंह
   1/2 प्रतापसिंह
   1/3 मोतीसिंह
   1/4 किशोरसिंह
   1/5 महेन्द्रसिंह पुत्रगण हमीरसिंहजी
   1/6 ताराकंवर पुत्री हमीरसिंहजी
   1/7 श्रीमति पेपीकंवर पत्नी हमीरसिंहजी समस्त जातिगण राजपूत निवासीगण नारलाई, तहसील देसूरी, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी, देसूरी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/02 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.8.2011 को अपास्त किया जाता है। अपीलांटगण को ग्राम चक सुजापुरा के गत खसरा नंबर 26/17 रकबा 15 बीघा के स्थान पर हाल खसरा नंबर 82 रकबा 2.32 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली